ा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यामिक रियों को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

। समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन

🗲 निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।

सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया

हेतु 06 माह पश्चात् पुनः निरीक्षण किया जायेगा, यदि शतों की पूर्ति नहीं पायी । अनापित्त प्रमाण पत्र प्रत्याहरित करने पर विचार करेंगी।

त्र निर्मत होने के पश्चात् विद्यालय को परिषद से मान्यता प्राप्त होने अथवा न इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय।

Water Harvesting System स्थापित करना अनिवार्य होगा।

चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र ाचों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन गर की न

भवदीय

संयुक्त शिक्षा निदेशक (कामता राम पाल)

विस्याचल मण्डल,मीरजापुर

/2018–19 तद्दिनांक। 130-38

अखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

))उ०प्र० 18 पार्क रोड़ लखनक।

। मण्डल, मीरजापुर।

जापुर।

रतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ रिक्षिक, मीरजापुर।

एकेडमी नॉलेज पार्क, बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर।

पंजीकृत

विस्याचल मण्डल,मीरजापुर। संयुक्त शिक्षा निदेशक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली। सचिव,

/2018-19 दिनांक 2.6 1/2 - 2010

वेषयः सनुबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, ब्ररईपुर, जमालपुर, मीरजापुर को सीठबीठएसठई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापिति प्रमाण पत्र दिया जाना।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तार प्रदेश शासन के आदेश अनुभाग, दिनांक 14.7.2009 द्वारा प्रदेश रिथत माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सीठबी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०ई० बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के अध्यक्षता में गिटित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ०प्र० शासन के उक्त आदेश के अनुसार फ़नपद मीरजापुर में स्थित संस्था सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क, बरईपुर, जमालपुर, मीरजापुर के जाने से मण्डलायुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित एतद् संबंधी मण्डलीय समिति रूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 12.12.2018 को विचार कियां गया। विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2018–19 से सी0वी0एस0ई० वोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र दिये को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपिता नहीं है—

विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जाय।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

विवालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए रिक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र0मध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वैद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक् शुल्क नहीं लिया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेके डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई देल्ली में प्राप्त होती है तो उत्कत प्रशिक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्प्रत तस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय